-:निर्णय:-

दिनांक 17.10.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरा राम पुत्र श्री उदा कौम नायक निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम से हल्का न. 12 एचएमएच पटवार हल्का कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ मे पं.न. 145/277 मु. न. 24 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल तादादी 3.795 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता आराजी दर्ज थी। जिनका स्वर्गवास होने के उपरान्त आराजी जरिये विरासतन वादी सं 1 व प्रतिवादीया सं 1, प्रतिवादीगण सं 2 व 3 की माता/पत्नी गिरदावरी, प्रतिवादीया सं 4, वादी सं 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

व प्रतिवादीगण सं 5 ता 7 के पिता/पति बनवारी लाल व प्रतिवादी सं 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से निम्नलिखित कृषिभूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है चक 12 एचएमएच 145/277 (24) कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्टेयर दर्ज है। प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सजरा खानदान वाद पत्र में अंकित किया है :-

वाद पत्र की चरण सं 3 मे वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा पूर्व घरू विभाजन हुआ जिसमे प्रतिवादी रेशमा देवी व गिरदावरी के वारिसान साहब राम व देवी लाल द्वारा अपना तमाम हक हिस्सा जिस कदर भी राजस्व रिकार्ड मे बनता है का त्याग वादी प्रभु राम, सुशील कुमार,ममता के हक मे त्याग कर दिया। उनके त्यागपत्र करने के उपरान्त वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारा हुआ, जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्नलिखित कृषिभूमि प्राप्त हुई :-

क- वादी सं-1 प्रभु राम पुत्र श्री भैरा राम को घरू विभाजन मे प्राप्त आराजी :-
चक 12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 1/1(.114) 1/2(.012), 2/1(.114) 2/2(.013) 9(.126), 10(.127), 11(.126), 12(.127), 19(.126) 20(.127), 21(.127), 22(.127) तादादी 1.265 हैक्टेयर।

ख- वादी सं 2 सुशील कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त हिस्साः-
चक 12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 2/1(.114) 2/2(.012), 9(.127) 12(.126) 19(.127), 22(.126), 3/1(0.100), 3/2(0.005), 8(.105), 13(.106) कुल तादादी 0.948 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता।

ग- वादी सं 3 ममता को घरू बंटवारा मे प्राप्त हिस्साः-
चक 12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 3/1(.128) 3/2(.020), 8(.148) 13(.147) 18(.253), 23(.253), कुल तादादी 0.949 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता।

ड- प्रतिवादी सं 8 रोशन लाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :-
चक 12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 1/1(.114), 1/2(.013), 10(.127), 11(.126), 20(.126), 21(.126) कुल तादादी 0.633 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता।

प्रतिवादीगण सं 5 ता 7 वादी सं. 2 की माता व बहिने है। जिन्होने अपना तमाम हक हिस्सा जिस कदर भी बनता है उस हिस्सा को वादी सं 2 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है। वे उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है।

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा पूर्व घरू विभाजन हुआ और विभाजनानुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड मे खाता सांझा होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तनाजा बना रहता है तथा वादीगण अपनी आराजी का उपयोग-उपभोग करने मे काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति मे वादीगण को विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करनी आवश्यक हो चुकी है कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं 3 मे दर्ज आराजी का घरू विभाजनानुसार चरण सं 5 के मुताबिक घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी का खातेदार है।

यह कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं-5 के मुताबिक खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वे न्यायलय चलकर खाता विभाजन करवा लेवे तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये यही वादकारण है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

यह कि प्रतिवादी सं 9 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।
यह कि वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्टफीस पर र मियाद प्रस्तुत है ।

दुआः-

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-
कि घोषणात्मक आज्ञप्ति इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादीगण वादपत्र की चरण सं 3 मे दर्ज आराजी का चरण सं 5 के मुताबिक वादी सं 1 प्रभु राम पुत्र श्री भैरा राम चक 12 एचएमएच पं.न. 145/277 (24) कि.न. 1/1(.114) 1/2(.012), 2/1(.114) 2/2(.013), 9(.126), 10(.127), 11(.126), 12(.127), 19(.126), 20(.127), 21(.127), 22(.127) तादादी 1.265 है., वादी सं 2 सुशील कुमार चक 12 एचएमएच पं.न. 145/277 (24) कि.न. 2/1(.114) 2/2(.012), 9(.127) 12(.126), 19(.127), 22(.126), 3/1(0.100), 3/2(0.005), 8(.105), 13(.106) कुल तादादी 0.948 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता, वादी सं 3 ममता चक 12 एचएमएच कि.न. 145/277 (24) कि.न. 3/1(.128) 3/2(.020), 8(.148) 13(.147), 18(.253), 23(.253) कुल तादादी 0.949 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुम. रास्ता के खातेदार है।
- कि उपरोक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर लगान अलग कायम किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता कुणाल छाबडा उपस्थित व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2, ता 8 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी 3 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम ी की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र ाबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर नन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व मति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः-
- वादी सं-1 प्रभु राम पुत्र श्री भैरा राम को घरू विभाजन मे प्राप्त आराजी :-
12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 1/1(.114) 1/2(.012), 2/1(.114) 2/2(.13) 9(.126), 10(.127), 11(.126), 12(.127), 19(.126) 20(.127), 21(.127), 22(.27) तादादी 1.265 हैक्टेयर।
- वादी सं 2 सुशील कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त हिस्साः-
12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 2/1(.114) 2/2(.012), 9(.127) 12(.126) (.127), 22(.126), 3/1(0.100), 3/2(0.005), 8(.105), 13(.106) कुल तादादी 0.948 र नहरी मय गैर मुम. रास्ता।
- वादी सं 3 ममता को घरू बंटवारा मे प्राप्त हिस्साः-
12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 3/1(.128) 3/2(.020), 8(.148) 13(.147) (.253), 23(.253), कुल तादादी 0.949 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता।
- प्रतिवादी सं 8 रोशन लाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त आराजी :-
12 एचएमएच प.न. 145/277 (24) कि.न. 1/1(.114), 1/2(.013), 10(.127), 11(.26), 20(.126), 21(.126) कुल तादादी 0.633 हैक्टर नहरी मय गैर मुम. रास्ता। पर्चा डिक्री लग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

5

गन/न्यायिक विवाद आदि नही हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त शानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन गे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा यि का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया कर, सरे इजलास सुनाया गया।

:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ